न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री पर्वत सिह चुण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः–30 / 2023

तारीख दायर–22.9.2023

तारीख–निर्णय–02.8.2024

1. श्री शंकर पिता केशा मीणा निवासी कालीभीत जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्री मीठु पिता केशा मीणानिवासी कालीभीत जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्री लाला पिता बाबरू मीणानिवासी कालीभीत जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
4. श्रीमती राधकी पिता बाबरू मीणानिवासी कालीभीत जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
5. श्रीमती बगदी पत्नी बाबरू मीणानिवासी कालीभीत जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

........वादीगण

बनाम

1. श्री सांवरा पिता भगा मीणा निवासी कालीभीत जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्रीमती तलसी पत्नी भगा मीणानिवासी कालीभीत जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्रीमती तलसी पत्नी भगा मीणा जरिये संरक्षक नाबालिक सुरेश पिता भगा निवासी जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
4. श्रीमती तलसी पत्नी भगा मीणा जरिये संरक्षक नाबालिक करण पिता भगा निवासी जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
5. श्रीमती बेनकी पिता भगा मीणानिवासी कालीभीत जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.) हाल मुकाम पत्नी मुकेश जुजपुरा।
6. श्री नानु पिता भगा मीणानिवासी कालीभीत जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
7. श्रीमती लछुडी पत्नी लक्ष्मण मीणानिवासी कालीभीत जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
8. श्रीमती लछुडी पत्नी लक्ष्मण मीणाजरिये संरक्षक नाबालिक देवा पिता लक्ष्मण मीणा निवासी कालीभीत जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
9. श्रीमती कुशिया पत्नी मनोहर मीणानिवासी कालीभीत जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
10. श्रीमती कुशिया पत्नी मनोहर मीणाजरिये संरक्षक नाबालीक पुष्कर पिता मनोहर निवासी कालीभीत जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
11. श्रीमती कुशिया पत्नी मनोहर मीणाजरिये संरक्षक नाबालीक दीपक पिता मनोहर निवासी कालीभीत जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
12. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

...........प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलुम्बर (राज.)

Scanned with CamScanner

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री पुष्कर लाल मीणा
प्रतिवादी की ओर से– एक तरफा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा कालीभीतपटवार क्षेत्रकालीभीत भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र कालीभीत तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 219 व पुराना 161 में वर्णित आराजी नम्बर 126 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 166/1 रकबा 0.6696हैक्टेयर,, आराजी न. 167 रकबा 4.7736हैक्टेयर, आराजी न.172 रकबा 1.6632हैक्टेयर,, आराजी न.520 रकबा 0.2700हैक्टेयर, आराजी न.522 रकबा 0.0648हैक्टेयर, आराजी न.526 रकबा 0.1188 हैक्टेयर, आराजी न.527 रकबा 0.0756हैक्टेयर, आराजी न.552 रकबा 0.0864हैक्टेयर, कुल आराजीयात् 9 कुल रकबा 7.9920 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजीया भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व खातेदार होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीया एंव प्रतिवादीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादीया द्वारा प्रतिवादीगणो को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगणों द्वारा विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नही दिखाने से वादीया को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी का वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन की डिक्री पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजी का विधिक विभाजन बाई मिट्स एण्ड बांउडस के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगणो द्वारा प्रकरण में जवाब पेश नही किये जाने से प्रतिवादीगणों का जवाब बन्द किया गया व प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात् प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई । विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहै है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है।हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से वादी एवं प्रतिवादी वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त खातेदार है। वादी वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन चाहते है। जिसमे प्रतिवादीगण को भी भूमि के विभाजन में कोई आपत्ती नही है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। एवं मौजा कालीभीत पटवार क्षेत्र कालीभीत भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलूम्बर (राज.)

Scanned with CamScanner

कालीभीत तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 219 व पुराना 161 में वर्णित आराजी नम्बर 126 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 166/1 रकवा 0.6696 हैक्टेयर,, आराजी न. 167 रकबा 4.7736 हैक्टेयर, आराजी न.172 रकवा 1.6632 हैक्टेयर,, आराजी न.520 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी न.522 रकबा 0.0648 हैक्टेयर, आराजी न.526 रकवा 0.1188 हैक्टेयर, आराजी न.527 रकबा 0.0756 हैक्टेयर, आराजी न.552 रकवा 0.0864 हैक्टेयर, कुल आराजीयात् 9 कुल रकबा 7.9920 हैक्टेयर भूमिभूमि का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2024.को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
लसाडिया सलुम्बर

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलुम्बर (राज.)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

वाद डिकी

पीठासीन अधिकारीः—श्री पर्वत सिह चुण्डावत आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 30 / 2023

वादी पक्ष

1. श्री शंकर पिता केशा मीणा निवासी कालीभीत जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्री मीठु पिता केशा मीणानिवासी कालीभीत जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्री लाला पिता बाबरू मीणानिवासी कालीभीत जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
4. श्रीमती राधकी पिता बाबरू मीणानिवासी कालीभीत जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
5. श्रीमती बगदी पत्नी बाबरू मीणानिवासी कालीभीत जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

........वादीगण

बनाम

1. श्री सांवरा पिता भगा मीणा निवासी कालीभीत जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्रीमती तलसी पत्नी भगा मीणानिवासी कालीभीत जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्रीमती तलसी पत्नी भगा मीणा जरिये संरक्षक नाबालिक सुरेश पिता भगा निवासी जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
4. श्रीमती तलसी पत्नी भगा मीणा जरिये संरक्षक नाबालिक करण पिता भगा निवासी जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
5. श्रीमती बेनकी पिता भगा मीणानिवासी कालीभीत जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.) हाल मुकाम पत्नी मुकेश जुजपुरा।
6. श्री नानु पिता भगा मीणानिवासी कालीभीत जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
7. श्रीमती लछुडी पत्नी लक्ष्मण मीणानिवासी कालीभीत जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
8. श्रीमती लछुडी पत्नी लक्ष्मण मीणाजरिये संरक्षक नाबालिक देवा पिता लक्ष्मण मीणा निवासी कालीभीत जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
9. श्रीमती कुशिया पत्नी मनोहर मीणानिवासी कालीभीत जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
10. श्रीमती कुशिया पत्नी मनोहर मीणाजरिये संरक्षक नाबालीक पुष्कर पिता मनोहर निवासी कालीभीत जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
11. श्रीमती कुशिया पत्नी मनोहर मीणाजरिये संरक्षक नाबालीक दीपक पिता मनोहर निवासी कालीभीत जोधावत फला तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
12. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

...........प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलुम्बर (राज.)

Scanned with CamScanner

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री पुष्कर लाल मीणा

प्रतिवादी की ओर से– एक तरफा

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 02.08.2024 को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादी डिकी किया जाता है एवं मौजा कालीभीत पटवार क्षेत्र कालीभीत भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र कालीभीत तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 219 व पुराना 161 में वर्णित आराजी नम्बर 126 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 166/1 रकबा 0.6696 हैक्टेयर,, आराजी न. 167 रकबा 4.7736 हैक्टेयर, आराजी न.172 रकबा 1.6632 हैक्टेयर,, आराजी न.520 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी न.522 रकबा 0.0648 हैक्टेयर, आराजी न.526 रकबा 0.1188 हैक्टेयर, आराजी न.527 रकबा 0.0756 हैक्टेयर, आराजी न.552 रकबा 0. 0864 हैक्टेयर, कुल आराजीयात् 9 कुल रकबा 7.9920 हैक्टेयर भूमि का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

उपखण्ड़ अधिकारी

लसाडिया सलुम्बर

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलुम्बर (राज.)

Scanned with CamScanner